जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पत्रांक :– जेविविनि / मु.ले. / राजस्व / पत्रा.215(।।।) / प्रे 46 जयपुर ,दिनांक :– 09-04-2007

–: आदेश :–

प्रचलित तन्त्र को अधिक प्रभावी एवं परिणामोत्पादक बनाने हेतु, विद्युत संबंध विच्छेदन मामलों में समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अतिरिक्त प्रस्तुत "विद्युत संबंध विच्छेद प्रकिया निर्देशिका" में वर्णित प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है तथा इनकें कियान्वयन हेतु निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है :–

(क) सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी इन प्रकियाओं की पालना सुनिश्चित करेंगें तथा अपने उत्तरदायित्वों का सख्ती से पालन करेंगे ।

(ख) मामले विशेष के संबंध में, यदि निर्देशिका में वर्णित प्रावधान, इसी मामले में जारी आदेश / आदेशों के अन्यथा है तो इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश ही लागू माने जायेंगे ।

(ग) मुद्रित रजिस्टर उपलब्ध करवाये जाने या वांछित रजिस्टरों की अनुपलब्धता की स्थिति में भी तुरन्त निर्धारित प्रारूपानुसार ही रजिस्टर संधारित किये जायेंगे ।

(घ) प्रकियागत खामियों, वांछित सुधारों एवं पुस्तिका में पायी गयी त्रृटियों (यदि कोई हो) को तुरन्त, लिखित मे, मुख्य लेखाधिकारी को सूचित करेंगे ।

(ड) उपखण्डों में स्थित सहायक राजस्व अधिकारी, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि :–

- (।) प्रकरणानुसार, उपभोक्ता बिलों पर, निर्धारित प्रारूपानुसार रबर मुहर (डी. सी.–1 एवं डी.सी.–10) लगायी जा रही है ।
- (2) उपखण्ड में, निर्धारित प्रारूपानुसार अभिलेख संधारण किया जा रहा है।
- (3) विद्युत संबंध विच्छेद नोटिसों, आदेशों, अनुपालनाओं इत्यादि की वांछित जांच की जा रही है तथा दृष्टिगत त्रृटियों के निराकरण हेतु लिखित में सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

लगातार......2

(4) विद्युत संबंध विच्छेद आदेशों का प्रभावी अनुवीक्षण (Monitoring) किया जा रहा है तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुपालित न किये गये मामलों की जानकारी लिखित में सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत की जा रही है ।

(5) अस्थायी / स्थायी विद्युत संबंध विच्छेद के पश्चात भी मीटर पठन आने के मामलों को, लिखित में सहायक अभियन्ता की जानकारी में लाये जा रहे है ।

(6) विद्युत संबंध विच्छेद एवं विद्युत संबंध पुनर्स्थापना की सूचना बिलिंग एजेन्सी को समय पर एवं नियमित रूप से भिजवायी जा रही है ।

(7) विद्युत संबंध विच्छेदित उपभोक्ताओं का पी.डी.सी. में स्थानान्तरण, निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा रहा है ।

(8) प्रभावी कार्य नियन्त्रण हेतु, वांछित सूचनाएं समय पर संकलित की जा रही है ।

निरीक्षण एवं नियन्त्रण अधिकारियों तथा आन्तरिक अंकेक्षकों द्वारा इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी तथा इस संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(आर. जी. गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता (------ संभाग) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर / भरतपुर / कोटा
2. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य / प.एवं स.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता (प.एवं स. / ---------) जयपुर डिस्कॉम, ----------
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (प.एवं स. / ------) जयपुर डिस्कॉम, ------
6. अधिशाषी अभियन्ता (प.एवं स. / --------) जयपुर डिस्कॉम, ---------- सहायक अभियन्ताओं के लिए चार अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
7. मैंसर्स आदिती कम्प्यूटर्स, जयपुर / सोफ्टेक कम्प्यूटर्स, कोटा

मुख्य लेखाधिकारी